न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/186 **दायरा दिनांक : 21.10.2024**

उनवान

राकेश पिता काशीराम, आयु 32 वर्ष, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. गणेश उर्फ रमेश पिता जडिया, आयु 50, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
2. नानूराम पिता जडिया, आयु 65, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
3. परमेश्वर पिता काशीराम, आयु 40, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
4. छोटू लाल पिता काशीराम, आयु 33 जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
5. चन्दाबाई पुत्री काशीराम, आयु 32, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
6. बाबूलाल माता केसर बाई आयु 45, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
7. पारी बाई माता केसरबाई, आयु 43 जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
8. गुड्डीबाई माता केसर बाई, आयु 40 जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
9. भागवंता बाई माता केसर बाई, आयु 40, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
10. तेजपाल माता केसरबाई, आयु 35, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
11. यशोदा बाई माता केसर बाई, आयु 41, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
12. कस्तूरी बाई बेवा काशीराम, आयु 55, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
13. श्यामू बाई पुत्री जडिया, आयु 43, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
14. सोहन बाई पुत्री जडिया आयु 41, जाति भोई, निवासी खेजडिया, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
15. माना बाई पुत्री जडिया,आयु 42, जाति भोई, निवासी माली मोहल्ला ताल, तहसील ताल, जिला रतलाम मध्यप्रदेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

16. अब्दुल मोहसीन पिता अब्दुल करीब आयु 55 जाति मुसलमान, निवासी चौमहला
17. शिवलाल पिता शांतिलाल, आयु 60, जाति तेली निवासी गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
18. सत्यनारायण पिता बद्रीलाल आयु 65, जाति तेली निवासी गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
19. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार गंगधार जिला झालावाड राजस्थान
20. शरद कुमार जैन पुत्र शंकर लाल जैन, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
21. गंगा बाई पत्नी रमेश चन्द, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम प्रकाश प्रजापति अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 20 व श्री राम माहेश्वरी रेस्पोडेंट नं. 1 व 21 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 23.01.2026

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या –00086/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मल्हारगंज पटवार हल्का भाटखेडी, तहसील गंगधार जमाबंदी संख्या 101 में आराजी खसरा नं. 148/2 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नं. 150/3 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 212 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 213 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं. 240 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नं. 241 रकबा 2.06 बीघा, खसरा नं. 250 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं. 251 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नं. 252 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 253 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नं. 254 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नं. 593 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नं. 594/3 रकबा 0.10 बीघा कुल 13 किता जुम्ला रकबा 9.10 बीघा वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 10 के संयुक्त खातेदारी में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2024 से वादी का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय न्याय के नियमों के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ज्युडियीशियल माईण्ड अप्लाई किये बगैर मनमाने तरीके से पारित किया गया है जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि बंटवारे के नियमों के अनुसार शामलाती खाते की प्रत्येक इंच भूमि का बंटवारा एक साथ शामिल करके एक साथ बंटवारा किया जाना होता है। जो इस वाद में वाद आंशिक रूप से स्वीकार करके मात्र खसरा नम्बर 254 का बंटवारा किया गया है। जो न्याय के नियमों के विपरीत होने से व बंटवारा के नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 254 में से अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट की सहखातेदार कस्तूरी बाई माता व चन्दा बाई बहिन के हिस्से को 66,900/–रूपये में खरीद करके विक्रय पत्र अपीलाण्ट द्वारा अपने नाम से उपपंजीयक तहसील गगंधार के यहां पंजीयन करवाया गया है इस प्रकार अपीलाण्ट का हिस्सा खसरा नम्बर 254 में 4/35 दर्ज था जो बंटवारे में अपीलाण्ट के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु बिना किसी आधार व अधिकार के अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 254 की रकबा 0.2529 हैक्टेयर में अपीलाण्ट का हिस्सा 0.0289 हैक्टेयर था जिसमें से 0.0163 हैक्टेयर भूमि का वादी के नाम गलत रूप से करा दिये जाने की डिक्री पारित की गई है। जो बंटवारा राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने से हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की कोई साक्ष्य नहीं ली गई और ना ही साक्ष्य का अवसर दिया गया अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा करने में अपीलाण्ट को कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया फौजदारी कार्यवाही के किसी भी तथ्य व निर्णय को माननीय राजस्व न्यायालय में निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता, फौजदारी न्यायालय में पुलिस के द्वारा बिना किसी अपीलाण्ट की जानकारी व सहमति दिये बगैर गलत राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। जिसको किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय को आधार नहीं बनाना चाहिए परन्तु सम्पूर्ण निर्णय व डिक्री पुलिस प्रशासन के समक्ष लिखना बताकर उसी को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जो कि हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 22.04.2024 से पूर्व की पेशी दिनाक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

01.04.2024 को अपीलाण्ट सहित प्रतिवादी क्रम 1 से 5 ने राजीनामें के अनुसार खातेदारी दिये जाने पर आपत्ति पेश की गई थी जिस पर आगामी पेशी बहस हेतु दिनांक 22.04.2024 दी गई जिसमें वादी द्वारा बिना किसी प्रार्थना पत्र के दस्तावेज पेश किये गये जिसमें विवादित राजीनामा दिनांक 07.04.2022 जो माननीय ए. सी. जे. एम. कोर्ट द्वारा तस्दीक किया गया था जिसे महत्वपूर्ण माना है जिस पर गम्भीर आपत्ति की गई थी तथा अपीलाण्ट सहित प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 इस बाबत पर सहमत थे कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके व कब्जे के आधार पर खाता विभाजन किया जावे तथा शेष तथ्यो पर असहमति रही थी इसके बाद पेशी बहस अन्तिम दिनांक 08.05.2024 दी गई जिसमें बहस सुनी गई व आदेश की पेशी दिनाक 24.06.2024 दी गई परन्तु अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के वकील साहब को पेशी नहीं बताई गई उसके बाद दिनांक 22.07.2024 पेशी डाल दी गई जिसकी भी जानकारी अपीलाण्ट को अपीलाण्ट के वकील साहब को नही थी तथा दिनांक 05.08.2024 को निर्णय करना बताया गया जिसमें दिनांक खाली जगह /9/24 को पेश हो जिसमें कोई तारीख नहीं डाली गई और न्यायालय को निर्णय अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के वकील साहब को नहीं बताया गया और काफी तलाश करने पर भी निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं दी गई तथा दिनांक 20.08.2024 को अपीलाण्ट के वकील साहब को कोर्ट के चपरासी द्वारा बताया गया की फाईल में तो निर्णय हो चुका है। इस पर दिनांक 20.08.2024 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय की जानकारी हुई किसी भी आदेशिका पर अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है जिसकी शिकायते अलग से अपीलाण्ट द्वारा की गई है। तथा अपीलाण्ट को जानकारी के बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में अपीलाण्ट का हिस्सा आधा कम करके रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज कर दिया गया तथा उसके बाद रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा 4/7 हिस्सा गंगाबाई पत्नी रमेश चन्द भाई के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलाण्ट की जानकारी के अनुसार प्रकरण में कोई फाईनल डिक्री पारित ही नहीं की गई है इस प्रकार अनियमितता की जाकर उक्त गलत व गैर कानूनी डिक्री पारित की गई है। जबकि मौके पर किसी भी प्रकार की कोई पैमाईश व बंटवारा नहीं किया गया है ऐसी सूरत में उक्त अनियमतिता पूर्ण तरीके से की गई निर्णय व डिक्री को हर सूरत में निरस्त किया जाना आवश्यक है। वादी/रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा गलत रूप से अपना नाम गलत बताकर गलत तथ्यों पर आधारित दावा पेश किया गया है। अपीलाण्ट का नाम रमेश है तथा गणेश नहीं है। गणेश नाम के व्यक्ति जो जडाव चन्द का पुत्र था जो सन 1980 में ही कुंवारा लाओलाद फौत हो चुका है। जिसका ही नाम अपना होना बताकर गलत दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा पूर्व में अपना नाम रमेश बताकर ही दावा पेश किया गया था जो दावा पूर्व में भी खारिज कर दिया गया था तथा वादी का नाम सही क्या हैं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह डिक्लरीयेशन यह क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को मानते हुए यह दावा खारिज कर दिया गया था तथा गणेश नाम के व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था यदि गणेश नाम का व्यक्ति नहीं था तो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार गलत तथ्य बताकर जो वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जिसमे न्यायिक सिद्वान्तो के अनुसार गलत तथ्य बताकर न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर व किसी भी प्रकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकारी न्यायालय से नहीं रह जाता है इस आधार पर भी रेस्पोडेन्ट कम 1 का वाद खारिज किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा ना कर वाद आंशिक स्वीकार करने में त्रुटि की है तथा अल्प समय में ही रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अपना हिस्सा गंगाबाई पत्नी रमेश चन्द के नाम भी दिनांक 15.10.2024 को नकल प्राप्त करने पर हुई है। इस प्रकार गलत निर्णय से अपना नाम दर्ज करवाकर रेस्पोडेन्ट कम 1 विवादित भूमि को रहन बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। गंगाबाई पत्नी रमेश चन्द के नाम के साथ उर्फ गणेश भी वर्तमान जमाबन्दी से हटा दिया गया है। इससे भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट कम 1 का नाम गणेश नहीं होकर रमेश चन्द ही है। इन सब आधारो से अपीलाधीन निर्णय गलत व गैर कानूनी व विधि विरुद्ध राजस्व रिकार्ड के विरुद्ध व न्याय के नियमों के विरूद्ध होने से हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकियात कायम नहीं की गई और ना ही तनकीयात के आधार पर ऐवीडेन्स ली गई और ना ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय की उक्त निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार निरस्त फरमायी जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 1 ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे का दावा पेश हुआ था जिसमें कुल 13 खसरा नम्बर थे। जिसमे से मात्र दो खसरा नम्बर 253 व खसरा नम्बर 254 का बंटवारा किया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी खसरा नम्बरों का बंटवार किया जाना चाहिए था। वाद राजीनामा बताकर डिक्री किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश नहीं किया गया ना ही राजीनामा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तस्दीक किया गया है। सिविल न्यायालय में हुए राजीनामे की प्रमाणित प्रति पेश की है। प्रस्तुत राजीनामे पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। फौजदारी प्रकरण का कोई भी निर्णय राजस्व न्यायालय में लागू नहीं होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2016 (2)CJ(Civ.)(Raj.) पेज 975, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 446, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (2025) 1 RCR(Civil) पेज 344, व बॉम्बे उच्च न्यायालय सिंगल बेंच मधुकर बाबूराव शेटे बनाम योगेश त्र्यंबक शेटे और अन्य रिट याचिका संख्या 3743/2021 निर्णय की तिथि 20.08.2024 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि सिविल न्यायालय में राजीनामा पेश हुआ जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। सम्पूर्ण आराजी का विभाजन नहीं चाहा था और इसी आधार पर अपील लाये हैं जो गलत है। राकेश द्वारा भी निर्णय की पालना में वादग्रस्त आराजी का बेचान किया जा चुका है इस प्रकार अपीलांट भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं। अपील गलत रूप से पेश की गई है। अतः खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि वाके ग्राम मल्हारगंज पटवार हल्का भाटखेडी, तहसील गंगधार जमाबंदी संख्या 101 की कुल किता 13 कुल रकबा 9.10 बीघा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 10 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी नानूराम काशीराम के पिता जडिया के फौत होने पर फौती नामान्तरण नम्बर 33 दिनांक 19.12.1978 को दर्ज होकर तस्दीक हुआ। नामान्तरण के कॉलम नम्बर 15–16 में तत्कालीन पटवारी क्षरा मृतक खातेदार जडिया की मृत्यु होने व उसके तीन सुल्बी लडके नामराम, काशीराम व रमेश होना स्पष्ट अंकित किया गया किन्तु तस्दीक में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गणेश नाम सहवन से दर्ज हो गया। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के सयुंक्त शामलाती खातेदारी में होने विभाजन नहीं होने से वादी अपने हित हिस्से की भूमि का समुचित विकास सुधार नहीं कर पा रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जकार वादी नाम राजस्व रेकार्ड में गणेश के बजाय रमेश संशोधित फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि का बंटवारा वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 10 के बीच अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी अनुसार किया जाकर वादी के हित हिस्से में आई भूमि का पृथक खाता दर्ज करते हुए बंटवारे में वादी के हित हिस्से में आई भूमि पर कब्जा व दखल भी वादी को संभलाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण कम 2 ता 5 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी का पारिवारिक एरेन्जमेंट दिनांक 26.08.2009 को हो चुका है जो 100/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित होकर वादी के भी उस पर हस्ताक्षर है जिसे चुनोती देने का वादी को अधिकार नहीं है। संयुक्त खाते में वादी का हिस्सा गलत दर्ज है। वादी का नाम गणेश है, पूर्व में किये गये वाद में वादी गणेश है तथा जिस नाम से पूर्व में वाद खारिज हो चुका है, पूर्व वाद में गणेश रमेश एक ही है, ऐसा नही बताया गया था। वादी के खिलाफ थाना गंगधार में धोखाधडी का केस दर्ज हो चुका है। विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से जडिया के सभी वारिसान का 1/7 हिस्सा होता है संयुक्त खाते में गणेश नानूराम का 4/7 हिस्सा गलत दर्ज है, जो काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि पूर्व में दिनांक 26.08.2009 को हुए पारिवारिक एरेन्जमेंट के सन्मुख यह प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। वादी को दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 6 के विरूद्ध दिनांक 24.05.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही होने के बावजूद भी दिनांक 12.07.2023 को जवाबदावा स्वीकार किया गया, जिसमें प्रतिवादी कम 6 केसरबाई के कायम मुकामान की ओर से जवाबदावा पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी में से खसरा नंम्बर 254 रकबा 0.2559 हैक्टर आराजी में 2/7 भाग की आराजी का खातेदार अब्दुल मोसिन मंसूरी पुत्र अब्दुल करीम जाति पिंजारा तथा खसरा नं. 248/2 रकबा 0.1644 हैक्टर व खसरा नं. 150/3 रकबा 0.0632 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.2276 हेक्टर आराजी में से 2/7 भाग की आराजी का खातेदार सत्यनारायण पुत्र बद्रीलाल जाति तेली निवासी गंगधार है। दोनों ही व्यक्ति वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार है इस कारण यह वाद बिना इन्हें पक्षकारा बनाये चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाये तथा मुनासिब सहायता केसरबाई के वारिस व कायम मुकाम प्रतिवादी नम्बर 6/1 से 6/6 को प्रदान की जावे।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.08.2024 से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम मल्हारगंज के खताा संख्या 302 व 319 में वादी का नाम दुरूस्त कर रमेश उर्फ गणेश पुत्र जडिया जाति भोई किये जाने के आदेश दिये गये। ग्राम मल्हारगंज के खाता संख्या 319 के खसरा नम्बर 253 में प्रतिवादी कम 1 नानूराम के हिस्से 2/7 पर एवं खाता संख्या 302 के खसरा नं. 254 रकबा 0.2529 हेक्टर में प्रतिवादी कम 4 के हिस्से 0.0289 में से 0.0163 हैक्टर पर (कुल 0.0885 पर) वादी को खातेदार कृषक दर्ज कर हिस्से का खाता विभाजन किये जाने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। साथ ही तहसीलदार गंगधार को आदेश दिये कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने की प्राथमिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी कम 4 राकेश पिता काशीराम द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल फौती नामान्तरकरण सं. 33 दिनांक 19.12.1978 के कालम 15, 16 में अंकित हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मूलक खातेदार जडिया भोई के तीन सुलभी लडके नानूराम, काशीराम, रमेश होना अंकित है, लेकिन तहसीलदार गंगधार द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करते समय तीनों पुत्रों का नाम नानूराम, काशीराम व गणेश अंकित किया गया है। वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा वादपत्र के माध्यम से वर्षों पहले अपने पिता का फौती नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी के नाम में राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कराने का अनुतोष चाहा है और राजस्व रेकार्ड में राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई त्रुटियों को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत गंगधार के प्रमाण पत्र कमांक–254/पंचायत/वि/14 दिनांक 02.07.2014 आदि के अवलोकन अनुसार रमेश के पिता का नाम जडिया, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर हुए राजीनामा दिनांक 07.04.2022 जो कि पब्लिक नोटेरी है और वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित नकल न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला, जिला झालावाड के न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 07.04.2022 के अनुसार तस्दीकशुदा राजीनामे के बिन्दु सं. 6 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि राजस्व अभिलेख में रमेश की जगह गणेश राजस्व अधिकारी द्वारा गलती से लिखने में आ गया था। वह रमेश अपने नाम का शुद्धिकरण राजस्व अभिलेख में उपरोक्त राजीनामे अनुसार करा लेगा इसमें

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुबंधकर्तागण 1 लगायत 5 एवं उसके वारिसों को कभी भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी। प्रस्तुत अनुबन्ध की नकल एवं न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला, जिला झालावाड द्वारा अनुबन्ध को तस्दीक करते समय लिखी गई न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.04.2022 पर स्वयं अपीलांट राकेश के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त करने के सन्दर्भ में पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2076–2079 प्रदर्श 15 के अनुसार खसरा नं. 254 की 0.2529 हेक्टर आराजी खाता सं. 302 एवं खसरा नं. 253 की 0.5059 हेक्टर आराजी खाता सं. 319 में पृथक खाते दर्ज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार पक्षकारान के मध्य मुख्य वाद का विषय खसरा नं. 254 होना ही प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित नकल राजीनामा एवं न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला, जिला झालावाड द्वारा राजीनामे को तस्दीक करते हुए लिखी गई आदेशिका दिनांक 07.04.2022 की प्रमाणित नकल के अनुसार प्रस्तुत नकल राजीनामा एवं न्यायालय की आदेशिका पर अन्य अनुबन्धकर्ता के साथ स्वयं अपीलांट राकेश के हस्ताक्षर होना स्पष्ट है। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला, जिला झालावाड द्वारा दिनांक 07.04.2022 को तस्दीक किये गये राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत रूप से विवेचन के पश्चात विवादित आराजी के बंटवारे के सन्दर्भ में जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह मुताबिक राजीनामा होने से हम अपील के इस स्तर पर उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2024 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

राकेश पिता काशीराम, आयु 32 वर्ष, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान

.... **अपीलांट**

बनाम

1. गणेश उर्फ रमेश पिता जडिया, आयु 50, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
2. नानूराम पिता जडिया, आयु 65, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
3. परमेश्वर पिता काशीराम, आयु 40, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
4. छोटू लाल पिता काशीराम, आयु 33 जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
5. चन्दाबाई पुत्री काशीराम, आयु 32, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
6. बाबूलाल माता केसर बाई आयु 45, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
7. पारी बाई माता केसरबाई, आयु 43 जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
8. गुड्डीबाई माता केसर बाई, आयु 40 जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
9. भागवंता बाई माता केसर बाई, आयु 40, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
10. तेजपाल माता केसरबाई, आयु 35, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
11. यशोदा बाई माता केसर बाई, आयु 41, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
12. कस्तूरी बाई बेवा काशीराम, आयु 55, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज खेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
13. श्यामू बाई पुत्री जडिया, आयु 43, जाति भोई, निवासी ईनायतपुरा, भोई मोहल्ला रामपुरा एम. पी.
14. सोहन बाई पुत्री जडिया आयु 41, जाति भोई, निवासी खेजडिया, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
15. माना बाई पुत्री जडिया,आयु 42, जाति भोई, निवासी माली मोहल्ला ताल, तहसील ताल, जिला रतलाम मध्यप्रदेश
16. अब्दुल मोहसीन पिता अब्दुल करीब आयु 55 जाति मुसलमान, निवासी चौमहला
17. शिवलाल पिता शांतिलाल, आयु 60, जाति तेली निवासी गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
18. सत्यनारायण पिता बद्रीलाल आयु 65, जाति तेली निवासी गंगधार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
19. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार गंगधार जिला झालावाड राजस्थान
20. शरद कुमार जैन पुत्र शंकर लाल जैन, निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान
21. गंगा बाई पत्नी रमेश चन्द, जाति भोई, निवासी मल्हारगंज तहसील गंगधार, जिला झालावाड राजस्थान

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2024 / 186**
मु.द.नं0 **00086 / दावा / 2016**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, गंगधार**
निर्णय व डिक्री दिनांक **05.08.2024**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **09 माह 01 सन् 2025**

श्री **ओम प्रकाश प्रजापति** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 20 व श्री **राम माहेश्वरी** रेस्पोडेंट नं. 1 व 21 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2024 यथावत रखी जाती है।

बावत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **23 माह 01 सन् 2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)